



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा.प्र.से.
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/MCH/167/2011/.....3847.....

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक: 01/09/2020

विषय: पोषण अभियान अंतर्गत पोषण माह (01–30 सितंबर, 2020) में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले गतिविधियों के संबंध में।

महाशय / महाशया,

अवगत हैं कि सरकार वर्ष 2022 तक देश में कुपोषण की दर में सुधार लाने हेतु कृत संकल्पित है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा POSHAN (Prime Minister Overarching Scheme for Holistic Nutrition) का प्रारंभ किया गया है। पिछले वर्ष की भाँति दिनांक 01–30 सितंबर, 2020 तक पोषण माह का आयोजन किया जाना है।

2. इस कार्यक्रम के तहत निम्नांकित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना है—

- (क) अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन
- (ख) स्तनपान का बढ़ावा
- (ग) गृह आधारित नवजात की देखभाल
- (घ) सघन दस्त नियंत्रण पर्यावार
- (ड.) राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम
- (च) विटामिन—ए खुराक अभियान
- (छ) IFA Supplementation/AMB
- (ज) Immunization Covering unreach population.
- (झ) Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs)

3. उपर्युक्त गतिविधियों से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना निम्नवत् है—

(क) अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन— अतिगंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में 9 से 11 गुणा मृत्यु का खतरा अधिक होता है तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लगभ 45 प्रतिशत मृत्यु में अति गंभीर कुपोषण एक अंतर्निहित कारक होता है। पोषण माह 2020 के अंतर्गत सभी अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है।

समुदाय स्तर पर गतिविधियाँ—

- a. समुदाय स्तर पर आशा द्वारा औंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित कर लंबाई/उँचाई के अनुसार –3SD से कम वजन वाले बच्चों की लाइनलिस्ट तैयार कर VHSND Site पर ए.एन.एम. से जाँच करवाना / स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- b. आशा द्वारा बीमार, सुस्त, दिखाई देने वाले दुबलेपन, स्तनपान/भूख में कमी, दोनों पैरों में सूजन वाले बच्चों का भी लाइनलिस्ट तैयार कर VHSND Site पर ए.एन.एम. से जाँच करवाना / स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाये।





- c. उक्त बच्चों में साँस का तेज चलना, छाती का धृंसना, फरका आना, लगातार उल्टी/दस्त होना इत्यादि लक्षण पाये जाने पर आशा द्वारा उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र पर रेफर किया जाये।
- d. ए.एन.एम. VHSND Site आरोग्य दिवस के दिन आशा/आँगनवाड़ी द्वारा चिन्हित सभी बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य की जाँच सुनिश्चित करेगी।
- e. ए.एन.एम. द्वारा लंबाई/उँचाई के अनुसार -3SD के कम वजन वाले या MUAC Tape द्वारा मापने पर उपरी बाँह की गोलाई 11.5 cm से कम होने वाले तथा चिकित्सकीय जटिलता (चमकी आना, दोनों पैरों में सूजन, साँस तेज चलना, छाती का ढसना, लगातार उल्टी दस्त होना, तेज बुखार या शरीर का ठंडा पड़ना, भूख में कमी, खुन की कमी होना, त्वचा पर घाव, विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाली बिमारियाँ) वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र पर रेफर करना सुनिश्चित किया जाये और संलग्न प्रपत्र में सूची का संधारण किया जाये।
- f. वैसे अतिगंभीर कुपोषित बच्चे (-3SD से कम वजन वाले) जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तथा भूख अच्छी है एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों –Moderately Acute Malnourished-MAM (लंबाई/उँचाई के अनुसार वजन -2SD से -3SD तक) की माताओं को ए.एन.एम., एम.सी.पी कार्ड में पोषण संबंधी दिये गये परामर्श देना सुनिश्चित करें। इन बच्चों के माता-पिता/अभिभावक को नियमित आइ.ए.एफ अनुपूरण, छ: माही विटामिन-ए सिरप एवं अल्बेण्डाजोल टैबलेट खुराक के बारे में परामर्श दिया जाये।

स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर गतिविधियाँ—

- a. स्वास्थ्य संस्थानों के OPD/IPD अथवा टीकाकरण हेतु आये 0 से 5 वर्ष तक के दिखाई देने वाले दुबलेपन (Severe Muscle wasting) अथवा आशा/आँगनवाड़ी/ए.एन.एम द्वारा रेफर किये गये कुपोषित बच्चों की लंबाई/उँचाई के अनुपात में वजन का आकलन सुनिश्चित किया जाये। WHO संदर्भ सारणी (एम.सी.पी कार्ड–ग्रोथ चार्ट) के अनुसार -3SD से कम वजन वाले बच्चों में खतरे के लक्षण (चमकी आना, दोनों पैरों में सूजन, साँस तेज चलना, छाती का ढसना, लगातार उल्टी दस्त होना, तेज बुखार या शरीर का ठंडा पड़ना, भूख में कमी, खुन की कमी होना, त्वचा पर घाव, विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाली बिमारियाँ) को पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपचार हेतु रेफर करना सुनिश्चित किया जाये।
- b. स्वास्थ्य संस्थान में आने वाले वैसे अतिगंभीर कुपोषित बच्चे (-3SD से कम वजन वाले) जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तथा भूख अच्छी है एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों –Moderately Acute Malnourished-MAM (लंबाई/उँचाई के अनुसार वजन -2SD से -3SD तक) की माताओं को ए.एन.एम, एम.सी.पी कार्ड में पोषण संबंधी दिये गये परामर्श देना सुनिश्चित करें। इन बच्चों के माता-पिता/अभिभावक को नियमित आइ.ए.एफ अनुपूरण, छ: माही विटामिन-ए सिरप एवं अल्बेण्डाजोल टैबलेट खुराक के बारे में चिकित्सा पदाधिकारी/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम./RMNCHA Counsellor द्वारा परामर्श देना सुनिश्चित किया जाये।
- c. पोषण स्तर के आँकलन हेतु स्वास्थ्य संस्थानों पर Digital Weighing Machine, Infantometer, Stadiometer, MUAC Tape, MCP Card की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर गतिविधियाँ— सभी पोषण पुनर्वास केन्द्र क्रियाशील रहेंगे तथा Covid-19 Protection Protocol अपनाते हुए चिकित्सकीय जटिलतायुक्त अतिगंभीर कुपोषित बच्चों का गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाये। उपचार के उपरांत डिस्चार्ज हुये बच्चों का दूरभाष के माध्यम से फॉलो-अप कार्य नवनियुक्त सी.बी.सी.ई से करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं डिस्चार्ज





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



हुये बच्चों की सूचना संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सी.डी.पी.ओ., आशा फैसिलिटेटर एवं आशा को उपलब्ध कराया जाये।

अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबंधन संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली—

Heading	Indicator	Description
M-9 (Immunization)	9.11 - Number of severely underweight children provided health check up (0-5 yrs)	वैसे कुल कुपोषित (SAM & MAM) बच्चों (0-5 वर्ष) की संख्या जिसका आरोग्य दिवस पर ए.एन.एम द्वारा स्वास्थ्य जाँच किया गया। इससे संबंधी ऑकड़े ए.एन.एम द्वारा टैली शीट में संधारण किया गया है। उक्त टैली शीट का संकलित ऑकड़े प्रखण्ड स्तर पर BMEO द्वारा HMIS (M-9) में प्रविष्टि किया जाना है।
M-10- [Number of cases of Childhood Diseases (0-5 years)]	10.14 Childhood Diseases - Severe Acute Malnutrition (SAM)	आरोग्य दिवस पर ए.एन.एम द्वारा एवं स्वास्थ्य संस्थान पर चिह्नित किये गये अतिगंभीर कुपोषित बच्चों (SAM) की कुल संख्या का HMIS (M-10) में प्रविष्टि किया जाना है।

(ख) स्तनपान का बढ़ावा— संस्थागत एवं घर पर जन्म लेने वाले सभी नवजातों को जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान शुरू कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में स्वास्थ्य कर्मी तथा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी/आशा इस कार्य को सुनिश्चित करेंगे तथा प्रखण्ड स्तर पर BMEO द्वारा HMIS (4.4.3 No. of newborn Breastfed within one hour of birth) में प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाये। स्वास्थ्य संस्थानों में ANC एवं टीकाकरण के दौरान आने वाली गर्भवती एवं धात्री माताओं को गर्भावस्था के अनुसार तथा बच्चे के उम्र के अनुसार स्तनपान एवं पोषण संबंधी परामर्श दिया जाये।

समुदाय स्तर पर आशा IYCF/माँ कार्यक्रम अंतर्गत तीन माह से ऊपर के गर्भवती एवं धात्री माताओं को गृह भ्रमण के दौरान जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान शुरू कराना, छ: माह तक सिर्फ स्तनपान कराना, छ: माह पूर्ण होने पर पूरक आहार शुरू करने के साथ स्तनपान को कम—से कम दो वर्ष तक जारी रखने एवं इनके लाभ के बारे चर्चा करे। कोविड-19 को देखते हुए बैठक के स्थान पर एक—एक कर लाभार्थी से परिचर्चा करें एवं इनकी संख्या माँ कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध आशा हेतु मासिक प्रपत्र में उल्लेखित (सूचकांक यथा बैठक में भाग लेने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या एवं बैठक में भाग लेने वाली स्तनपान कराने वाली महिलाओं की कुल संख्या) कॉलम में भेट एवं परिचर्चा की गयी कुल लाभार्थियों की संख्या अंकित किया जाये।

(ग) गृह आधारित नवजात की देखभाल — पोषण माह के दौरान आशा द्वारा Home Based newborn Care (HBNC) कार्यक्रम अंतर्गत अपने संबंधित क्षेत्र में शत—प्रतशत नवजात के घर का भ्रमण कर शिशु एवं माता की जाँच तथा पोषण संबंधी सलाह दिया जाये।

(घ) सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (ड.) राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम एवं (च) विटामिन—ए खुराक अभियान— दिनांक 16 से 29 सितंबर, 2020 तक होने वाले इन कार्यक्रमों के सफल के क्रियान्वयन से पूर्व आशा द्वारा गृह भ्रमण कर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाये तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पूर्व प्रेषित पत्रांक 3420, दिनांक 14.08.2020, पत्रांक 3605, दिनांक 22.08.2020 एवं



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



पत्रांक 3620, दिनांक 24.08.20 द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाये।

(छ) IFA Supplementation/AMB- 6—59 माह तथा 5— 10 वर्ष के बच्चों, किशोर, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के रोकथाम के लिए क्रमशः आइ.एफ.ए. सिरप, आइ.एफ.ए गुलाबी गोली, आइ.एफ.ए नीली गोली एवं आइ.एफ.ए. लाल गोली की उपलब्धता लाभार्थी तक सुनिश्चित किया जाये।

(ज) प्रतिरक्षण / Immunization Covering unreach population-

- ड्यूलिस्ट अद्यतन करने एवं लाभार्थी को सत्र स्थल पर लाने हेतु हर संभव प्रयास कर शत—प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
- एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता एवं सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करना

(झ) Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) नियमित टीकाकरण के साथ—साथ आशा, आँगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., स्व सहायता समूह, महिला मंडल, पंचायती राज के प्रतिनिधि कृपोषण, अनीमिया, स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा करना एवं ऐसे सत्रों की फोटो खिंचकर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर <http://poshanabhiyan.gov.in/#/> पर अपलोड करना।

यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आरोग्य दिवस पर स्वास्थ्य, पोषण, विकास एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाएँ एवं जानकारियाँ वंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को अवश्य दी जाये एवं ऐसे प्रयासों (फोटो सहित) को प्रतिवेदित

4. Reporting of the Posan Maah 2020 - पोषण अभियान डैशबोर्ड <http://poshanbhiyaan.gov.in/#/> पर डाटा इंट्री मॉड्यूल एवं विडियो उपलब्ध हैं। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण माह में संपादित गतिविधियों की फोटो सहित रिपोर्टिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेब साईट <http://poshanbhiyaan.gov.in/#/> के Dashboard पर अपलोड (रात्रि 12 बजे से सुबर 5 बजे तक Data Entry हेतु अनुमति नहीं) करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 02.10.2020 को समय—रात्रि12 बजे से पूर्व तक पूर्ण कर लें। इस संबंध में पूर्व में भेजी गयी जिला एवं प्रखण्डवार User ID तथा Password यथावत है। इस हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सलाहकार योजना सह M&E (SPMU-ICDS), श्री संतोष कुमार गुप्ता (मो० 9308423591) से संपर्क किया जा सकता है।

नोट: उक्त गतिविधि के दौरान कोविड-19 हेतु जारी किये गये प्रोटोकॉल या दिशा—निर्देश जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लब्स इत्यादि से संबंधित दिशा निदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

 (मनोज कुमार)

अनुलग्नक: प्रपत्र (ए.एन.एम. द्वारा भरा जाने हेतु)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



पत्रांक 3620, दिनांक 24.08.20 द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाये।

(छ) IFA Supplementaion/AMB- 6—59 माह तथा 5— 10 वर्ष के बच्चों, किशोरिyoं तथा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के रोकथाम के लिए क्रमशः आइ.एफ.ए. सिरप, आइ.एफ.ए गुलाबी गोली, आइ.एफ.ए नीली गोली एवं आइ.एफ.ए. लाल गोली की उपलब्धता लाभार्थी तक सुनिश्चित किया जाये।

(ज) प्रतिरक्षण / Immunization Covering unreached population-

- ड्यूलिस्ट अद्यतन करने एवं लाभार्थी को सत्र स्थल पर लाने हेतु हर संभव प्रयास कर शत—प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
- एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता एवं सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करना

(झ) Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) नियमित टीकाकरण के साथ—साथ आशा, आँगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., स्व सहायता समूह, महिला मंडल, पंचायती राज के प्रतिनिधि कुपोषण, अनीमिया, स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा करना एवं ऐसे सत्रों की फोटो खिंचकर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर <http://poshanabiyian.gov.in/#/> पर अपलोड करना।

यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आरोग्य दिवस पर स्वास्थ्य, पोषण, विकास एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाएँ एवं जानकारियाँ वंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को अवश्य दी जाये एवं ऐसे प्रयासों (फोटो सहित) को प्रतिवेदित

4. Reporting of the Posan Maah 2020 - पोषण अभियान डैशबोर्ड <http://poshanbhiyaan.gov.in/#/> पर डाटा इंट्री मॉड्यूल एवं विडियो उपलब्ध हैं। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण माह में संपादित गतिविधियों की फोटो सहित रिपोर्टिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेब साईट <http://poshanbhiyaan.gov.in/#/> के Dashboard पर अपलोड (रात्रि 12 बजे से सुबर 5 बजे तक Data Entry हेतु अनुमति नहीं) करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 02.10.2020 को समय—रात्रि12 बजे से पूर्व तक पूर्ण कर लें। इस संबंध में पूर्व में भेजी गयी जिला एवं प्रखण्डवार User ID तथा Password यथावत है। इस हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सलाहकार योजना सह M&E (SPMU-ICDS), श्री संतोष कुमार गुप्ता (मो० 9308423591) से संपर्क किया जा सकता है।

नोट: उक्त गतिविधि के दौरान कोविड-19 हेतु जारी किये गये प्रोटोकॉल या दिशा—निर्देश जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लब्स इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

अनुलग्नक: प्रपत्र (ए.एन.एम. द्वारा भरा जाने हेतु)

ज्ञापांक 3847

प्रतिलिपि:

पटना, दिनांक 01/09/2020

- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- निदेशक आई.सी.डी.एस. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक—सह—राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी/अपर निदेशक—सह—आर.बी.एस.के./राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आशा, आर.के. एस.के., शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, /राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक (NHM/NUHM) रा.स्वा.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य प्रतिनिधि— यूनिसेफ, केयर, पिरामल फाउन्डेशन, एवीडेंस एक्शन, अलाइव एण्ड थ्राइव, निपी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक



अति- गंभीर कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जाँच और रेफरल प्रपत्र

(आरोग्य दिवस के दिन ANM द्वारा भरा जाना है)

स्वास्थ्य उपकरण का नाम -

गांधी/पंचायत का नट्ट

प्रस्तुति का नाम -

आरोग्य दिवस की बधाई -

आंगनवाडी केट संख्या -

*यदि ANM के पास MUAC मापने की टेप हैं।

**अतिगंभीर कपोषण-SAM/मध्यम अतिगंभीर कपोषण -MAM/ सामान्य-N

ANM का नाम

आशा का नाम
हस्ताक्षर

